(166) (40)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा
जिला–रीवा (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक– III/निग0/2017/2785

20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs.30/-

अनिल कुमार मिश्रा पिता रामायण प्रसाद मिश्रा, उम्र–50 वेर्ष, पेशा–कृषि, निवासी ग्राम/पो0–बीरखाम, तहसील–सेमरिया, जिला–रीवा, (म0प्र0)

............निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

रामनरेश पाण्डेय पिता जमुना प्रसाद पाण्डेय उम्र–68 वर्ष, पेशा–कृषि एवं व्यवसाय, निवासी ग्राम/पो0–बीरखाम, तहसील–सेमरिया, जिला–रीवा, (म0प्र0)

.... गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 के अधीन पुनरीक्षण
अधीनस्थ न्यायालय तहसील सेमरिया वृत्त शाहपुर द्वारा प्र0 क0 71/अ–12/16–17 आदेश दिनांक 05.07.2017 के विरूद्ध निगरानी याचिका

निगरानीकर्ता का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है:–

1– आवेदक ने पूर्व में अपनी भूमि खसरा कमांक 1055/1 रकवा 0.174 ए0 सीमांकन हेतु आवेदन किया था, जिसका प्रकरण राजस्व निरीक्षक शाहपुर के न्यायालय में प्रकरण कमांक 35/A–12/15–16 पंजीबद्ध हुआ और दिनांक 06.06.2016 को सीमांकन न हो पाना बतातें हुये निरस्त कर दिया, उस सीमांकन में आवेदक की भूमि पर जो कब्जा बनाया गया था वह उसके क्षेत्रफल से दर्ज रकवा एवं नक्शे के रकवे में भिन्नता है और नक्शे में खसरा

40

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/निग./2017/2785 जिला रीवा

अमित कुमार मिश्रा विरूद्ध रामनरेश पाण्डेय

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री प्रकाश पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 71/अ-12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 05.07.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-03-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	